



राजस्थान सरकार  
कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, दीगोट, (कोटा)  
ज़िला - कोटा  
जाति प्रमाण - पत्र



कमांक: RJ/2017/राजस्थान विभाग/जाति का प्रमाण-पत्र (अ.जा./अ.ज.जा.)/18158644772  
दिनांक: 23-01-2019  
आवेदक का आधार नम्बर: 936042215303  
आवेदक/परिवार के मुखिया का भायाचाह कार्ड संख्या: 9999-ZWHR-00109

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री कुसुम मीणा पुत्र/पुत्री श्री धर्मराज मीणा गांव/नगर झाड़ गाँव तह दीगोट जिला/डिवीज़न कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में 9 MINA (9 मीना) जाति/समुदाय का/की है जिसे निम्नलिखित के अनुसार अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है-

संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950, संविधान (अनुसूचित जाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जनजाति) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश 1951, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति मुखिया (संघोपन) आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम 1960, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, उत्तर पूर्वीय क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोपन) अधिनियम 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (जम्मु व कश्मीर) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आदेश (संघोपन) अधिनियम, 1976 द्वारा क्या संशोधित संविधान (अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश 1959, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962, संविधान (दादरा तथा नागर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964, संविधान अनुसूचित जनजाति (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जाति आदेश 1968, संविधान (गोवा, दमन तथा दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968, संविधान (भागलपुर) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970

सुश्री कुसुम मीणा गाँव/नगर झाड़ गाँव तह दीगोट जिला / डिवीज़न कोटा राज्य/संघ राज्य क्षेत्र राजस्थान में समान्यतया रहता / रहती है।

- नोट:
- यहाँ प्रयोग साधारणतः निवासी का अर्थ वहीं होगा जो जन प्रतिनिधित्व 1950 की धारा 20 में है।
  - राजस्थान सरकार के सामान्यिक न्याय अधिकारीता विभाग की अधिसूचना सं.एफ. 21(37) एच.जे.ई./कम्प्यू./ई.जी./08-09/73710 दिनांक 30/12/2010 के द्वारा जाति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु डिजिटल हस्ताक्षर के उपयोग को मान्यता प्रदान की गयी है।
  - उपरोक्त प्रमाण-पत्र कियोस्क द्वारा उपलब्ध कराये गये ई-टस्तावेजात के आधार पर जारी किया गया है। टस्तावेजात की प्रामाणिकता के सम्बन्ध में कोई विवाद होने पर प्रमाण-पत्र खारिज किया जा सकेगा।
  - प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गए दून आवेदन पर एवं सम्बंधित टस्तावेजात विवे के सम्बंधित प्रतल अधिकारी जिसके हस्ताक्षर से यह जारी किया जायेगा के कार्यालय में निरीक्षण/परीक्षण के लिए उपलब्ध होंगे।
  - यह प्रमाण-पत्र डिजिटल हस्ताक्षरित है। अतः सभी कार्यों के विवे मान्य है।
  - प्रार्थी को जारी किये गये प्रमाण-पत्र का सत्यापन [www.emitra.rajasthan.gov.in](http://www.emitra.rajasthan.gov.in) पर स्थित ONLINE VERIFICATION SECTION से Online सत्यापित किया जा सकता है। टोकन संख्या: 180165467299

उपखण्ड अधिकारी, दीगोट, (कोटा)

Signature valid

Digitally signed by  
KAILASH CHANDRA  
SHARMA  
Date: 2019.01.23 17:30:16  
+05:30  
Reason: Approved  
Location: Rajasthan

